कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक संख्या : एम0ई0–03 / 2020 / 2351 लखनऊः दिनांक 27.11.2020

यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 की द्वितीय चक्र की ऑन–लाईन काउसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश / सूचना

राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) में प्रवेश हेतु यू0पी0 नीट यू0जी0–2020 की द्वितीय चक्र की ऑन–लाईन काउसिलिंग से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराये जाने हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

स्टेट रैंक	अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होने की तिथियाँ
1 से 10000	02.12.2020
10001 से 15000	03.12.2020
15001 से 18486	04.12.2020
छूटे हुए अभ्यर्थी	05.12.2020

- उपर्युक्तानुसार अभ्यर्थी को अपनी स्टेट रैंक के आधार पर उपरलिखित तिथियों पर पंजीकरण के समय चुने गये नोडल सेन्टर पर स्वयं उपस्थित होकर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउसिलिंग के माध्यम से आवंटन प्राप्त कर सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा चुके है, उन्हें अभिलेखों के पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। वह अगर सीट अपग्रेड करना चाहते है तो उन्हे च्वाईस भरने के पश्चात् लॉक करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउसिलिंग प्रक्रिया के दौरान अभिलेखों का सत्यापन करा चुके है, परन्तु कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उन्हें पुनः अपने डाक्यूमेंट सत्यापन कराने, तथा धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को च्वाईस भरने के पश्चात् लॉक करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउसिलिंग से सीट आवंटित हुई थी और किन्हीं कारणों से उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है या त्यागपत्र दे दिया गया है, यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अपना डाक्यूमेन्ट वैरीफिकेशन कराये जाने के साथ–साथ राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000 / – , निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु रू0 2,00,000 / – एवं निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज की सीटों हेतु रू0 1,00,000 / – सिक्योरिटी धनराशि का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0" **(Director General Medical Education & Training, UP. payable at Lucknow)** के पक्ष में देय हो , सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण के समय व्यक्तिगत डाटा भरते समय कतिपय त्रुटियाँ / कोई प्रमाण पत्र पूर्व में सत्यापित न हुआ हो (यथा अभ्यर्थी की श्रेणी "EWS/OBC/SC/ST" व अन्य , पूर्व से बी0डी0एस0 में अध्ययनरत् , निवास सम्बन्धी इत्यादि) हो गयी थी, को अभिलेखों के सत्यापन के समय नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाते हुये सही करा सकते है।
- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ डाक्यूमेन्ट वैरीफिकेशन सेन्टर पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन के उपरान्त अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन का प्रिन्ट आउट अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- समस्त अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि अभिलेखों के सत्यापन व धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात्, कम्प्यूटर जनरेटेड (Document Verification & Security Money Reciepts) रसीद अवश्य प्राप्त कर ले।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो गया है तथा पंजीकरण शुल्क जमा नहीं कर सके है वह दिनांक 30.11. 2020 तक शुल्क जमा कर पंजीकरण रसीद डाउनलोड कर सकते है।

महानिदेशक